



Neutral Citation No. - 2026:AHC:162935

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**बीएनएसएस की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या - 15332 वर्ष 2025**

रेणु और 3 अन्य

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : दिलीप सिंह यादव

प्रतिवादी के अधिवक्ता : आदित्य प्रताप मिश्रा, शासकीय अधिवक्ता

**न्यायालय संख्या - 81**

**माननीय न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह**

1. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता श्री दिलीप सिंह यादव, प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री आदित्य प्रताप मिश्रा को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि पक्षकारों ने न्यायालय के बाहर आपसी सहमति से अपने विवाद का निपटारा कर लिया है तथा उनके मध्य दिनांक 04.02.2025 को समझौता हो गया था, जिसे वर्तमान आवेदन के साथ दाखिल किया गया

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।  
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



है। पूर्व में, इस न्यायालय ने पक्षकारों को समझौते के सत्यापन हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया था। उक्त आदेश द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को सत्यापन रिपोर्ट भेजने का भी निर्देश दिया गया था।

3. रिपोर्ट के अनुसार, पक्षकार विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए, जिनकी पहचान उनके संबंधित अधिवक्ताओं द्वारा की गई तथा विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 19.09.2025 को समझौते का सत्यापन किया गया।
4. चूंकि पक्षकारों ने न्यायालय के बाहर आपसी सहमति से अपने विवाद का निपटारा कर लिया है तथा प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 आवेदकों के विरुद्ध अभियोजन चलाना नहीं चाहता है, अतः इसे लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।
5. राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. तथा प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने उपर्युक्त तथ्यों पर कोई विवाद नहीं किया है।
6. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **मध्य प्रदेश राज्य बनाम लक्ष्मी नारायण और अन्य, (2019) 5 एस सी सी 688** में समझौते/सुलह के आधार पर कार्यवाही को निरस्त किए जाने के संबंध में सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। प्रासंगिक अनुच्छेद नीचे उद्धृत किए जा रहे हैं:-

“15. इस बिंदु पर विधि तथा इस न्यायालय के उपर्युक्त संदर्भित अन्य निर्णयों पर विचार करने के पश्चात्, यह अभिनिर्धारित एवं प्रतिपादित किया जाता है कि:

- i) संहिता की धारा 320 के अंतर्गत गैर-शमनीय अपराधों के लिए आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करने हेतु संहिता की धारा 482 के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग उन मामलों में किया जा सकता है, जिनमें अपराध का चरित्र अत्यधिक एवं मुख्यतः सिविल प्रकृति



का हो, विशेष रूप से वे मामले जो वाणिज्यिक लेन-देन से उत्पन्न हुए हों अथवा वैवाहिक संबंध या पारिवारिक विवादों से उत्पन्न हुए हों और जब पक्षकारों ने अपने संपूर्ण विवाद का आपस में समाधान कर लिया हो;

ii) ऐसी शक्ति का प्रयोग उन अभियोजनों में नहीं किया जाना चाहिए, जिनमें जघन्य एवं गंभीर अपराध, मानसिक विकृति से संबंधित अपराध अथवा हत्या, बलात्कार, डकैती आदि जैसे अपराध शामिल हों। ऐसे अपराध निजी प्रकृति के नहीं होते हैं और उनका समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ता है;

iii) इसी प्रकार, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जैसे विशेष विधियों के अंतर्गत अपराधों अथवा लोक सेवकों द्वारा अपने पद पर कार्य करते हुए किए गए अपराधों के संबंध में ऐसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और केवल पीड़ित तथा अपराधी के मध्य हुए समझौते के आधार पर ऐसी कार्यवाही को निरस्त नहीं किया जाना चाहिए;

iv) भारतीय दंड संहिता की धारा 307 तथा शस्त्र अधिनियम आदि के अंतर्गत अपराध जघन्य एवं गंभीर अपराधों की श्रेणी में आते हैं और इसलिए उन्हें केवल व्यक्ति के विरुद्ध नहीं, बल्कि समाज के विरुद्ध अपराध माना जाना चाहिए। अतः भारतीय दंड संहिता की धारा 307 तथा/अथवा शस्त्र अधिनियम आदि के अंतर्गत ऐसे अपराध, जिनका समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, उनके संबंध में संहिता की धारा 482 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केवल इस आधार पर आपराधिक कार्यवाही निरस्त नहीं की जा सकती कि पक्षकारों ने अपने संपूर्ण विवाद का आपस में समाधान कर लिया है। तथापि, उच्च न्यायालय केवल इस आधार पर अपने निर्णय को सीमित नहीं करेगा कि प्रथम सूचना



रिपोर्ट में भारतीय दंड संहिता की धारा 307 का उल्लेख है अथवा इस प्रावधान के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया है। उच्च न्यायालय के लिए यह जांच करना खुला होगा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 307 को केवल औपचारिकता के लिए शामिल किया गया है अथवा अभियोजन ने पर्याप्त साक्ष्य एकत्र किया है, जो सिद्ध होने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अंतर्गत आरोप विरचित किए जाने का आधार बनेगा। इस प्रयोजन के लिए उच्च न्यायालय चोट की प्रकृति, यह कि ऐसी चोट शरीर के महत्वपूर्ण/संवेदनशील अंगों पर पहुंचाई गई है या नहीं, प्रयुक्त हथियारों की प्रकृति आदि को ध्यान में रख सकता है। तथापि, उच्च न्यायालय द्वारा ऐसी कवायद केवल जांच के पश्चात् साक्ष्य एकत्र किए जाने और आरोप-पत्र दाखिल किए जाने/आरोप विरचित किए जाने और/अथवा विचारण के दौरान ही की जा सकती है। जब मामला अभी जांच के अधीन हो, तब ऐसी कवायद अनुमत नहीं है। अतः इस न्यायालय के नरेंद्र सिंह (उपर्युक्त) के मामले में निर्णय के अनुच्छेद 29.6 और 29.7 में निकाले गए अंतिम निष्कर्षों को सामंजस्यपूर्ण रूप से तथा समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए और उपर्युक्त परिस्थितियों में उसी प्रकार समझा जाना चाहिए;

v) गैर-शमनीय अपराधों के संबंध में, जो निजी प्रकृति के हैं और जिनका समाज पर गंभीर प्रभाव नहीं पड़ता, पीड़ित तथा अपराधी के मध्य समझौते/सुलह के आधार पर आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करने हेतु संहिता की धारा 482 के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग करते समय उच्च न्यायालय के लिए अभियुक्त के पूर्ववृत्त पर विचार करना आवश्यक है; अभियुक्त का आचरण, अर्थात् क्या अभियुक्त फरार था और वह क्यों फरार था, उसने शिकायतकर्ता



के साथ समझौता करने के लिए किस प्रकार व्यवस्था की आदि पर भी विचार किया जाना आवश्यक है।”

7. उपर्युक्त तथ्यों के दृष्टिगत, चूंकि पक्षकारों ने न्यायालय के बाहर आपसी सहमति से अपने विवाद का निपटारा कर लिया है तथा पक्षकारों के मध्य हुए समझौते का विचारण न्यायालय द्वारा पहले ही सत्यापन किया जा चुका है, अतः वर्तमान आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य है।
8. तदनुसार, वर्तमान आवेदन **स्वीकार** किया जाता है और एस.टी. संख्या 951 वर्ष 2024 (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम रेनू और अन्य), जो मुकदमा अपराध संख्या 65 वर्ष 2018, धारा 323, 324, 504, 308 भा.दं.सं., थाना तिर्वा, जनपद कन्नौज से उत्पन्न हुआ है तथा विद्वान सत्र न्यायाधीश, कन्नौज के न्यायालय में लंबित है, की संपूर्ण कार्यवाही एतद्वारा निरस्त की जाती है।

**04 अगस्त, 2026**

अजीत

**(न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह)**